

प्रेस विज्ञप्तिथाना - अहरौलाचोरी गए आभूषण के साथ दो अभियुक्त गिरफ्तार, 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

घटना का संक्षिप्त विवरण-

आज दिनांक 18/6/24 को उ0नि0 राकेश तिवारी व उ0नि0 विजयी मय हमराह हे0का0 रामकृष्ण यादव व हे0का0 सर्वेश यादव का0संजीव कुमार का0 मुकेश गुप्ता को सूचना मिली की तीन पुरुष व एक महिला मंगारीपुर पुलिया के पास खड़े है अपने पास कुछ चोरी का सोना व चांदी लिये हुये है कही जाने के फिराक मे है अपने पास लिये सोने व चांदी को बेचना चाहते है यदि जल्दी क्रिया जाय तो पकड़ा जा सकता है इस सूचना पत्रकार पुलिस मौके पर पहुंची घेराबन्दी कर 1. मो0 अमीर पुत्र कासीम निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष 2. अभियुक्ता अनिता सिंह पुत्र रामकरन सिंह उर्फ चिन्टू सिंह निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष पकड़ 3. 02 बाल अपचारी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष पकड़ लिया गया। बाद पुलिस कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्याया0 भेजा जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग

1-मु0अ0सं0 295 /24 धारा 457/380 भादवि बढोत्तरी धारा 411 ipc थाना अहरौला आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता -

1. मो0 अमीर पुत्र कासीम निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र 19 वर्ष
2. अभियुक्ता अनिता सिंह पुत्र रामकरन सिंह उर्फ चिन्टू सिंह निवासी बरईपुर थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष
3. 02 बाल अपचारी थाना अहरौला जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 16 वर्ष

बरामदगी-

एक अदद सोने का मंगलसूत्र , दो अदद कान के सोने की बाली , चार अदद चांदी का बीछिया, दो अदद चांदी का पायल , दो अदद कान के सोने का बूँदा बरामदगी है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 राकेश तिवारी, उ0नि0 विजयी , हमराह हे0का0 रामकृष्ण यादव , हे0का0 सर्वेश यादव का0संजीव कुमार, का0 मुकेश गुप्ता म0का0 अंजुली थाना अहरौला आजमगढ़ ।

थाना जहानागंजहत्या के प्रयास में 02 अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 05.05.2024 को ग्राम लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज आजमगढ़ मे पुराने विवाद को लेकर दो पक्षो मे मारपीट हुयी थी जिसमे दोनो पक्षो को काफी चोटे आयी थी जिसके सम्बन्ध मे थाना स्थानीय पर दोनो पक्षो का अन्तर्गत धारा 307 भादवि मे अभियोग पंजीकृत किया गया था । अभियोग पंजीकृत होने के बाद ही घटना मे संलिप्त अभियुक्त फरार चल रहे थे ।

गिरफ्तारी का विवरण-

दिनांक 19.06.2024 को प्रभारी निरीक्षक जहानागंज मय हमराह के मु0अ0सं0 212/24 धारा 323/307/ 308/34 भादवि के वाक्षित अभि0गण रणजीत सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ तथा मु0अ0सं0 213/24 धारा 325/323/504/506/307/308/34 भादवि के वाक्षित अभि0गण नरेश चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उनके घर से समय करीब 4.15 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया । बाद आवश्यक कार्यवाही मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. नरेश चौहान पुत्र रामबृक्ष चौहान निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष
2. रणजीत सिंह पुत्र कल्पनाथ सिंह निवासी लक्ष्मीपुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र 37 वर्ष

आपराधिक इतिहास रणजीत सिंह

मु0अ0सं0 212/24 धारा 323/307/308/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

आपराधिक इतिहास- नरेश चौहान

213/24 धारा 325/323/504/506/307/308/34 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

प्र.नि. कृष्ण कुमार गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

उ.नि. मदन गुप्ता थाना जहानागंज आजमगढ़

उ.नि. ओमप्रकाश यादव थाना जहानागंज आजमगढ़

हे.का. दिनकर कुशवाहा थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना गंभीरपुर

गैर इरातन हत्या में एक गिरफ्तार, पूर्व में 02 अभियुक्त हो चुके हैं गिरफ्तार।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 14/15.06.2024 की रात्रि में समय 01.00 बजे मृतक श्रवण सोनकर पुत्र पुनवासी सोनकर उम्र करीब 30 वर्ष जिसको मानसिक बीमारी थी पडोस में स्थित आकाश सोनकर पुत्र स्वर्गी.कन्हैया सोनकर के घर चला गया था घर की लड़की के साथ छेड़खानी करने का आरोप लगाकर अभियुक्तगण 1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर 2.मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर 3.घुरे सोनकर उर्फ रामाश्रय पुत्र मुन्ना सोनकर समस्त साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ ने मिलकर श्रवण कुमार उपरोक्त को लाठी डंडा से मारपीट कर घायल कर दिया गया। दौरान इलाज श्रवण सोनकर उपरोक्त की मृत्यु हो गयी थी जिसके सम्बन्ध में आवेदक पुनवासी सोनकर पुत्र रामनाथ सोनकर ग्राम रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर आजमगढ़ द्वारा एक तहरीर थाना गम्भीरपुर पर प्रस्तुत किया गया। प्राप्त प्रा.पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु.अ.स. 218/2024 धारा 304 भादवि बनाम 1.आकाश सोनकर पुत्र स्व0 कन्हैया सोनकर 2.मुन्ना सोनकर पुत्र स्व0 निहोर सोनकर 3.घुरे सोनकर पुत्र मुन्ना सोनकर समस्त साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना उ0नि0 राकेश चन्द त्रिपाठी चौकी प्रभारी गोसाई की बाजार थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा सम्पादित की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक-19/06/2024 को बसन्त लाल थानाध्यक्ष गम्भीरपुर आजमगढ़ मय हमराह का0 रविशंकर चौरसिया, का0 धीरज त्रिपाठी, म.का.शीलू यादव द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त घुरे सोनकर उर्फ रामाश्रय पुत्र मुन्ना सोनकर साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष को समय 8.45 बजे वाराणसी आजमगढ़ मार्ग हाइवे गोमाडीह कट के पास से गिरफ्तार कर लिया गया तथा अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त बांस का डंडा भी बरामद कर लिया गया। बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय भेजा जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम-

1. घुरे सोनकर उर्फ रामाश्रय पुत्र मुन्ना सोनकर समस्त साकिनान रसूलपुर बाजबहादुर थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष पंजीकृत अभियोग /आपराधिक इतिहास:—

1. मु.अ.स.218/2024 धारा 304 भादवि थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

बरामदगी का विवरण- अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त एक अदद बांस का डण्डा बरामद किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थानाध्यक्ष बसन्त लाल मय हमराह थाना गम्भीरपुर जनपद आजमगढ़

थाना दीदारगंज

धारा 308 भादवि में 04 अभियुक्त गिरफ्तार।

पूर्व का विवरण-

दि0 18.06.2024 को वादी मुकदमा नितेश पुत्र त्रिवेणी कुमार ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़ के लिखित तहरीर बावत विपक्षी द्वारा लाठी डण्डो से मारना पीटना तथा मजरूब रितेश मौके पर बेहोश जाना के सम्बन्ध में मु0अ0स0 169/24 धारा 323,308,504,506,34 भादवि बनाम 1.प्रमोद 2. लालचन्द पुत्रगण जैतू राम 3.विक्रम पुत्र अमरनाथ 4. धर्मेन्द्र 5. सन्तोष पुत्रगण फूलचन्द 6. रौनक पुत्र प्रमोद साकिनान ग्राम मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज आजमगढ़ पंजीकृत हुआ था जिसमें मजरूब सुर्मिला के मृत्यु होने के पश्चात मुकदमा उपरोक्त में धारा 304 भादवि का बढोत्तरी की गयी है। जिसमें अभियुक्त उपरोक्त फरार चल रहे थे।

गिरफ्तारी का विवरण:-

दिनांक 19.06.24 को निरीक्षक मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित अभियुक्त सफेद बुलोरो बाहन से ग्रा0 मीरअहमदपुर शाहजादा से अमृतगंज बाजार पकड़ लिया गया चारों ने अपना नाम 1.रौनक कुमार पुत्र प्रमोद कुमार 2. प्रमोद पुत्र जैतूराम 3. विक्रम पुत्र अमरनाथ 4. संतोष पुत्र फूलचन्द निवासीगण मीरअहमदपुर शाहजादा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ बताया कि अभियुक्तगणों को बताया कि मु0अ0सं0 169/24 धारा 323/504/506/308/304/34 IPC के नामजद अभियुक्त है कारण गिरफ्तारी बताते हुए नियमानुसार समय करीब 9.05 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता –

1.रौनक कुमार पुत्र प्रमोद कुमार मीरअहमदपुर शहजादा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

2. प्रमोद पुत्र जैतूराम

3. विक्रम पुत्र अमरनाथ

4. संतोष पुत्र फूलचन्द समस्त निवासी मीरअहमदपुर शहजादा थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़

बरामदगी- दो अदद घटना में प्रयुक्त लाठी

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:-

1 प्र0नि0 अखिलेश कुमार थाना दीदारगंज आजमगढ़

2.उ0नि0 अवधेश कुमार मय हमराह , थाना दीदारगंज आजमगढ़

थाना- फूलपुर

हत्या के प्रयास में 01 अभियुक्त गिरफ्तार व 02 बाल अपचारी पुलिस अभिरक्षा में

पूर्व की घटना/इतिहास-

दिनांक 16-06-2024 को मुकदमा वादिनी सुन्दरी पुत्री ओमप्रकाश ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र पर दिया गया कि अभियुक्तगणों द्वारा दिनांक 15.6.24 समय लगभग 10 बजे रात्रि को विपक्षी रजनीश s/o चन्द्रभान व नीलेश s/o चन्द्रभान एवं गुलेश s/o रामअजोर मोनू मगलेश पुत्रगण रामअजोर व अनिकेश s/o सुरेन्द्र प्रार्थिनी के घर में घुसकर मेरे भाई संजय पुत्र ओमप्रकाश को ताबडतोड चाकू से वार कर दिये एक चाकू फेफेडा में लगा एवं दूसरा चाकू हाथ में लगा मरणासन्न हालात से मे छोड कर भाग गये के संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 328/2024 धारा 34/457/307 भादवि बनाम 1-रजनीश s/o चन्द्रभान 2- नीलेश s/o चन्द्रभान 3- गुलेश s/o रामअजोर 4-मोनू 5-मगलेश पुत्रगण रामअजोर 6-अनिकेश s/o सुरेन्द्र समस्त निवासीगण सैदपुर थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़ के पंजीकृत है जिसकी विवेचना उ0नि0 रज्जन द्विवेदी द्वारा की जा रही है।

गिरफ्तारी का विवरण/घटना का अनावरण-

दिनांक 19-06.2024 को उ0नि0 रज्जन द्विवेदी मय हमराह द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त 1. निलेश पुत्र चन्द्रभान ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष तथा बाल अपचारी 2. 02 बाल अपचारी को खान्जहापुर चौराहा थाना फूलपुर आजमगढ़ से आज समय 08-30 बजे को हिरासत पुलिस में नियमानुसार लिया गया व न्यायिक अभिरक्षा जिला कारागार भेजा गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण:-

1. निलेश पुत्र चन्द्रभान ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर जिला आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष
2. 02 बालअपचारी

बरामदगी का विवरण:- आलाजुर्म चाकू।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0 328/24 धारा 34/457/307 भादवि थाना फूलपुर जनपद आजमगढ़

आपराधिक इतिहास-

निलेश पुत्र चन्द्रभान ग्राम सैदपुर थाना फूलपुर

1- 194/18 धारा 147/323/504/506 भादवि व 3(1)द,3(1)ध,3(2)5क एसटी एससी एक्ट थाना फूलपुर आजमगढ़

गिरफ्तारी करने वाली टीम -

1. उ0नि0 रज्जन द्विवेदी- हे0का0 दीन बन्धु यादव, 3-का0 अरविन्द यादव, 4- का0 विजेन्द्र कुमार थाना फूलपुर आजमगढ़

थाना जहानागंज

अवैध असलहा व कारतूस के साथ एक गिरफ्तार

दिनांक 18.06.24 को वादी प्रदुम पासवान पुत्र पासवान निवासी छपरा थाना चिरैयाकोट मऊ द्वारा प्रार्थनापत्र दिया गया कि दिनांक 16.06.2024 को मैं अपनी मोटर साइकिल से पी0जी0आई0 चक्रपानपुर दवा लेने गया था। दवा लेकर अपने घर वापस जा रहा था कि रास्ते में मेरा मोबाइल ग्राम अनइ के पास मेरे जेब से गिर गयी तब तक मेर पीछे एक मोटर सा0 पर सवार तीन व्यक्ति आए उन लोगो ने मेरी मोबाइल उठा लिए। तब तक मैं अपनी मोबाइल उन लोगो से माँगने लग मेरे मोबाइल कवर में दो हजार रुपया था उसको भी ले लिए। और अपनी जेब से कट्टा निकाल कर लहराते हुए धमकी दिये कि साले अपनी मोबाइल भूल जाओ। अगर शोर मचाओगे तो जान से मार डालूंगा जिसके सम्बन्ध मे मु.अ.स. 312/24 धारा 382/506 भादवि बनाम अज्ञात पंजीकृत हुआ। जिसकी विवेचना उ.नि. मदन कुमार गुप्ता द्वारा सम्पादित की जा रही है।

➡ आज दिनांक 19.06.2024 को उ0नि0 मदन गुप्ता मय हमराह के द्वारा मुकदमा उपरोक्त में विवेचना से प्रकाश में आए वांछित अभियुक्त आजाद यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम वीरभद्रपुर हनौता थाना जहानागंज को भुजही मोड़ के पास सड़क के किनारे स समय 10.50 बजे पकड़ लिया गया तथा कब्जे से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर का बरामद हुआ तथा 01 अदद मोबाइल सैमसंग मोबाइल बरामद हुआ बाद आवश्यक कार्यवाही अभियुक्त को मा0 न्यायालय रवाना किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

आजाद यादव पुत्र बलिराम यादव निवासी ग्राम वीरभद्रपुर हनौता थाना जहानागंज उम्र 19 वर्ष

आपराधिक इतिहास रणजीत सिंह

मु0अ0सं0 312/24 धारा 382/506/411 भादवि थाना जहानागंज आजमगढ़

मु.अ.स. 313/24 धारा 3/25 आयुध अधि0 थाना जहानागंज आजमगढ़

बरामदगी:-

घटना मे प्रयुक्त एक अदद मोबाइल सैमसंग कम्पनी

एक अदद कट्टा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

उ.नि. मदन गुप्ता मय हमराह थाना जहानागंज आजमगढ़

थाना तहबरपुर

अपहरण के अभियोग में एक अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:- वादी मुकदमा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 12.04.2024 की शाम करीब 5 बजे आवेदक पुत्री अपने मामा के घर नेवादा थाना निजामाबाद जा रही थी, लेकिन वहाँ नहीं पहुँची। उसके मो०नं० 630xxxxxxx पर सम्पर्क किया गया लेकिन फोन नहीं लगा काफी खोजबीन की गयी लेकिन उसका पता नहीं चला। जिसके आधार पर थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 96/2024 धारा 363 भादवि पंजीकृत की गयी थी। जिसकी विवेचना उ०नि० मानचन्द्र यादव द्वारा सम्पादित की जा रही थी। विवेचना के क्रम में धारा 366 भादवि की बढोत्तरी की गयी तथा अपहृता/पीडिता व अभियुक्त की तलाश हेतु पतारसी सुरागरसी की जा रही है,।

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 19.06.2024 को उ०नि० मानचन्द्र यादव, का० राकेश कुमार के द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित वांछित अभियुक्त आर्यन पुत्र फिरतु राम उम्र करीब 19 वर्ष ग्राम सरौनी थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष को टीकापुर तिराहे से समय करीब 11.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त का चलन माननीय न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त:- आर्यन पुत्र फिरतु राम उम्र करीब 19 वर्ष ग्राम सरौनी थाना केराकत जनपद जौनपुर उम्र 26 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग

मु०अ०सं० 96/2024 धारा 363 भादवि थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम-

1. उ०नि० मानचन्द्र यादव थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़
2. का० राकेश कुमार थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

थाना तहबरपुर

किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का आरोपी गिरफ्तार

पूर्व की घटना/इतिहास का विवरण:- दिनांक 18.06.2024 को वादिनी मुकदमा थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ के लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि विपक्षी द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री को जबरदस्ती खेत में गिराकर दुष्कर्म किया गया, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 138/2024 धारा 376 भादवि व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट बनाम मोनू पुत्र बदलू राम सा० ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ की विवेचना थाना प्रभारी द्वारा सम्पादित की गयी। विवेचना के क्रम में-

गिरफ्तारी का विवरण:- दिनांक 19.06.2024 को थाना प्रभारी मय हमराह द्वारा अभियोग उपरोक्त में वांछित अभियुक्त हिमांशु गोयल उर्फ मोनू पुत्र बदलू प्रसाद निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ को बीबीपुर गांव जाने वाले गेट के पास बहद ग्राम बीबीपुर से समय 08.30 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया गिरफ्तार अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण- मु०अ०सं० 138/2024 धारा 376 भादवि व 3/4 (2) पाक्सो एक्ट थाना तहबरपुर आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त:- - हिमांशु गोयल उर्फ मोनू पुत्र बदलू प्रसाद निवासी ग्राम ओरा थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़ उम्र 26

गिरफ्तारी/बरामदगी करने वाली टीम- थाना प्रभारी मय हमराह थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़

प्रेस विज्ञप्ति

अवैध रूप से लाल/नीली बत्ती लगाने वाले 28 वाहनों का चालान, अब तक 580 वाहनों का हो चुका है चालान।

दिनांक 11.06.2024 से यातायात निदेशालय, उत्तर प्रदेश के आदेश के क्रम में पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ अनुराग आर्य के निर्देशन में ट्रैफिक पुलिस आजमगढ़ द्वारा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न स्थानों पर चौक चौराहों पर लाल नीली बत्ती उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार पुलिस कलर अवैध रूप से अपने निजी वाहनों पर लगाकर चल रहे उनके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत आज 19.06.2024 को लगभग 300 वाहनों को चेक किया जिसमें 28 वाहनों का जिन पर अवैध रूप से लाल नीली बत्ती उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार पुलिस कलर अपने वाहन में लगाए हुए थे उनका चालान की कारवाई किया गया। अब तक जनपद में लगभग 580 वाहनों का लाल नीली बत्ती, हूटर, साइरन, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार, पुलिस आदि अवैधानिक रूप से लिखे जाने के सम्बंध में चालान किया गया है ₹ 54000 शमन शुल्क जमा कराया गया है।